(नियम 26)

# उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पा

बनाम

किस्म मुकदमा ________ नम्बर........ सन्

अन्तर्गत धारा..........

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | लोक अदालत शिविर - ध्याणेराव (न्याय आपके द्वार - 2017) |
| 18/5/2017 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादीगण तमाम कायमुद सूचना अनुपस्थित हैं। प्रतिवादी अधिकारी तह० देसूरी एवं सरपंच ग्रा०पं० ध्याणेराव उप०। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा विरुद्ध राज०सरकार एवं ग्रा०पं० वाद अन्तर्गत धारा 88-188 R.T.-Act. प्रस्तुत ग्राम ध्याणेराव में स्थित भूमि ख०नं० 2473 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि के (वादीगण) हकूको की घोषणा का निवेदन किया गया तथा यह भी कथन किया गया कि जत ख०नं० 349 रकबा 15 बीघा भूमि वादीगण के |
| उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली) | |

②

मृत पिता अब्दुल गफूर को दिनांक 11.7.68 को आवंटन की गई एवं उसके नम्बर खसरा 2473 कायम है। राजस्व रेकार्ड में आवंटन का इन्द्राज नहीं होने से वाद बाबत घोषणा (खातेदारी) प्रस्तुत किया गया।

राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये जाने पर कायम वाद बिन्दुओं का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है:-

(1) वाद बिन्दु सं. 1

मौजा ब्यावर के गत खसरा नं. 349 में से 15 बीघा भूमि दिनांक 11.7.68 को वादीगण के स्व. पिता अब्दुल गफूर पुत्र अहमद को आवंटित किये जाने की आवंटन कार्यवाही की प्रमाणित फोटो प्रति Ex2 प्रस्तुत की गई है एवं आवंटन आवेदन पत्र की प्रति Ex3 प्रस्तुत की गई है। आवंटन की पालना में दाखिल नामान्तरण संख्या 651 दिनांक 24.2.1971 आवंटी का कब्जा कायम आवंटन के अनुरूप नहीं होने से तहसीलदार

P.T.O.

अधिकारी
(पाली)

देसूरी द्वारा खारिज किया
जाता। ना०क० की प्रति Ex, एवं वादी
से यह तथ्य प्रमाणित है। कि आदेश
गिरदावरी संवत 2026-29 के विरुद्ध
भी भूमि राजकीय सिवाय-चक सक्षम प्रा[illegible]
दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि पड़त दर्ज नहीं [illegible]
जो खसरा गिरदावरी Ex-4 की [illegible]
से प्रमाणित है। उक्त आदेश [illegible]
ना०क० सं० 651 की कोई अपील
रिवीजन वादीगणों द्वारा नहीं गई
है। अतः वादग्रस्त उक्त भूमि
गत रेकार्ड में आवंटन एवं कब्जाशुदा
वादीगण की माना जाना कतई
उचित नहीं है। अतः उक्त वाद
बिन्दु वादीगण के विरुद्ध निर्णित
किया जाता है।

वाद बिन्दु सं० 2

उपरोक्त वाद बिन्दु संख्या 1
के विवेचन तथा वादग्रस्त
भूमि नवीन ख०नं० 2473 S.D.O.
पाली कैम्प देसूरी के आदेश क्रमांक
662-63 दिनांक 22.4.97 गोचर
घोषित होने एवं ना०क० संख्या 563
दिनांक 22.4.02 Ex-8 के रेकार्ड
में प्रतिवादी सं० 2 ग्राम पंचायत के
नाम बतौर गोचर दर्ज होने से

खण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

एवं वादीगण द्वारा उक्त गोचर के आदेश दिनांक 22.4.99 के विरुद्ध भी कोई अपील/रिवीजन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने से जोला दर्ज होने की खातेदारी वादीगण प्राप्त करने कोई अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं है। अतः यह वाद बिन्दु वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु सं०-3

वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं०2 ग्राम पंचायत खारोनाव के नाम बतौर गोचर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई है। यदि वादीगण उक्त आदेश से व्यथित थे, तो उनको सक्षम अपीलीय अधिकारी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अतः उक्त वाद बिन्दु वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

वाद बिन्दु संख्या-4

उपरोक्त वाद बिन्दु 1 से 3 के विवेचन के अनुसार वादीगण खातेदार हक एवं स्थाई आराजी

ड अधिकारी
(पाली)

110/20

प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. अतः यह वाद बिन्दु भी वादीगण के विरुद्ध ही निर्णित है

वाद बिन्दु सं० 5

उपरोक्त स्थिति एवं विवेचन से वादीगण अन्य अनुतोष भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है

उपरोक्त विवेचन से विवादित आराजी मौजा चाणोराव के वर्तमान खसरा 2473 किता गै०मु० जोहड़ ग्रा०पं० चाणोराव में 2=40 है० के खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है. डिक्री परचा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 18-5-201 को सुनाया गया।

जांच
४ यशोदा

(राजेन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)
S.D.O. देसूरी